रेड्स सम्बन्धी विषय–सारणी

क्रम स0	पत्र संख्या	दिनांक	विषय
1.	380	04.07.2018	वितरण क्षेत्रों में रेड्स की कार्यवाही सम्पादित किये जाते समय कार्मिकों के साथ अभद्रता एवं मारपीट की घटना की स्थिति में प्रशासन स्तर से प्रभावी कार्यवाही कराये जाने हेतु अनुश्रवण किये जाने के सम्बन्ध में।
2.	407	13.07.2018	उपभोक्ताओं के परिसरों में स्थापित Metering Equipment की सुरक्षा के उत्तरदायित्व एवं मीटर रूम में ताला लगाये जाने के सम्बन्ध में।
3.	1455	16.07.2018	विद्युत चोरी की रोकथाम की कार्यवाही में तथा विद्युत आपूर्ति बनाये रखने में लगे विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा तथा उनके विरूद्ध हुई मारपीट अथवा हिंसात्मक घटनाओं के मामलों में तत्परतापूर्वक प्रभावी कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।
4.	496	09.08.2018	विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–152 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आर्थिक रुप से निर्बल वर्ग के लोगों के विद्युत चोरी करते पकड़े जाने पर उनके लिए शमन शुल्क की धनराशि में कमी किये जाने हेतु आवश्यक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।
5.	539	01.09.2018	विद्युत चोरी में पकड़े गये व्यक्तियों के विरूद्ध राजस्व निर्धारण बिल का एक तिहाई (1/3) भुगतान प्राप्त कर नया विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
6.	599	17.09.2018	प्रवर्तन दलों के संचालन हेतु सहयोगी स्टाफ एवं अन्य संसाधनो की उपलब्धता कराये जाने के सम्बन्ध में।
7.	635	05.10.2018	माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 05.10.2018 को दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।
8.	7142	22.11.2018	1 कि0वा0 तक के विद्युत चोरी के प्रकरणों में 2000 रू0 शमन–शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।
9.	806	03.12.2018	विद्युत चोरी करते पकड़े गये व्यक्तियों/उपभोक्ताओं के विरूद्ध पुलिस थानों में दर्ज कराये जाने वाली एफ.आई.आर. में कानूनी कमियॉ होने के सम्बन्ध में।
10.	783	08.08.2019	क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विद्युत चोरी के विरूद्ध रेड्स की कार्यवाही के उपरान्त निर्धारित समयानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।
11.	369	06.10.2018	विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु चेकिंग के दौरान की गयी कार्यवाई की वीडियोग्राफी भी कराये जाने के सम्बन्ध में।
12.	470	16.05.2019	5 कि0वा0 एवं उससे अधिक भार वाले अवैधानिक संयोजनों (कटिया) वाले विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण सुनिश्चित कर वसूली हेतु धारा–3 एवं धारा–5 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत कर संबंधित परिसरों की चेकिंग किए जाने के सम्बन्ध में।

13.	471	16.05.2019	विभिन्न औद्योगिक एवं बड़े प्रतिष्ठानों द्वारा विद्युत चोरी अथवा किसी प्रकार की अनियमितता की चेकिंग/रेड की योजनाबद्ध कार्यवाही सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में।
14.	566	22.06.2019	प्रीपेड मीटर्स से निर्गत किये गये विद्युत संयोजनों द्वारा रिचार्ज न कराये जाने पर उनके द्वारा चोरी से विद्युत उपभोग किये जाने की चेकिंग किये जाने के सम्बन्ध में।
15.	568	22.06.2019	अवैध रूप से चल रहे विद्युत संयोजनों के नियमितीकरण हेतु "कटिया हटाओं संयोजन पाओ" योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।
16.	900	24.08.2019	कार्यालय–ज्ञाप
17.	940	03.09.2019	एन्टी पावर थेफ्ट थानों को क्रियाशील करने हेतु आवश्यक वाहन, सहवर्ती उपकरण, फर्नीचर एवं हिन्दी टाइपिंग हेतु टाइपिस्ट आदि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

अधि० (रेड्स)
सं० 220
दि० 12/04/18

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन ,14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

सं0: भवन / मु0म0प्र0(वित्त) / निधि– II / कम्पाउडिंग चार्जेज / 273 / 2014 दिनांकः 09 अप्रैल, 2018

प्रबन्ध निदेशक
विद्युत वितरण निगम लि0,
पूर्वांचल / मध्यांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल एवं केस्को ,
वाराणसी / लखनऊ / मेरठ / आगरा एवं कानपुर।

विषय :– विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ताओं से प्राप्त शमन शुल्क को राजकीय कोष में जमा किये जाने तथा जमा धनराशि की प्रविष्ट RMS Portal (UPPCL, Enforcement Application) पर किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या 704 / पीएसडीएफ / 2018 दिनांक 20.02.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उपभोक्ताओं से प्राप्त शमन शुल्क को राजकीय कोष में निर्धारित लेखाशीर्ष अर्न्तगत जमा किये जाने एवं जमा धनराशि की प्रतिष्टि RMS Portal (UPPCL, Enforcement Application) पर किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश निर्गत किया गया है।

इस सम्बन्ध में दिनांक 24.03.2018 को कारपोरेशन मुख्यालय पर विद्युत चोरी रोकने हेतु कार्ययोजना एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में हुई बैठक में यह संज्ञान में लाया गया कि स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी कई वितरण खण्डों द्वारा विद्युत चोरी के प्रकरणों मे शमन शुल्क की निर्धारित धनराशि को राजकोष में शमन शुल्क हेतु निर्धारित लेखाशीर्ष के स्थान पर पावर कारपोरेशन लि0 के राजस्व लेखाशीर्ष में जमा किया जा रहा है, जो कि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। स्पष्ट निर्देशों एवं मुख्यालय स्तर से गलत लेखाशीर्ष में जमा धनराशि का वितरण निगमवार एवं माहवार विवरण उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त भी उनका मिलान कार्यालय महालेखाकार से नहीं कराया जा रहा है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि वितरण निगमों के अन्तर्गत वितरण खण्डों द्वारा विद्युत चोरी के प्रकरणों में प्राप्त शमन शुल्क की धनराशि राजकीय कोष में निर्धारित लेखाशीर्ष अन्तर्गत जमा करायी जाये एवं इसकी सूचना RMS Portal (UPPCL, Enforcement Application) पर अपलोड किया जाये तथा शमन शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि का किसी भी दशा में सामान्य राजस्व में सम्मिलित कर कारपोरेशन मुख्यालय को अन्तरित न की जाये। वितरण निगमों के निदेशक (वित्त), निगम अन्तर्गत शमन शुल्क मद में जमा धनराशि का माहवार समेकित विवरण तैयार कराकर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय में वित्त स्कन्ध को नियमित रूप से माह समाप्ति के उपरान्त अगले माह की 07 तारीख तक उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित रखा जाये एवं किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

सं० 1449
दिनांक 12-4-18

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

सं0: 544 / मु0म0प्र0(वित्त) / निधि– II / कम्पाउडिंग चार्जेज / 273 / 2014 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त निदेशक (वित्त) / (वाणिज्य), मध्यांचल / पूर्वांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ एवं उप महाप्रबन्धक (लेखा), केस्को कानपुर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

C.E.(Com-1)

SE(Raid)

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

900/DC/PCL/18

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा" शक्ति भवन विस्तार,
चतुर्थ तल, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
फोन नं0 : 0522–22878696

पत्रांक : 340मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/रेड इकाई/डिस्काम, दिनांक : 04/07/2018

ई–मेल प्रबन्ध निदेशक,
मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को,
कानपुर।

महत्वपूर्ण

विषय :–<u>वितरण क्षेत्रों में रेड्स की कार्यवाही सम्पादित किये जाते समय कार्मिकों के साथ अभद्रता एवं मारपीट की घटना की स्थिति में प्रशासन स्तर से प्रभावी कार्यवाही कराये जाने हेतु अनुश्रवण किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

आप अवगत है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा विद्युत चोरी करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने की मंशा के अनुरूप विद्युत वितरण निगमों द्वारा अपने नियन्त्रणाधीन क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाये जा रहे हैं। विभिन्न वितरण निगमों के नियन्त्रणाधीन वितरण क्षेत्रों के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विद्युत चोरी पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से की जा रही रेड्स (छापों) की कार्यवाही सम्पादित किये जाते समय, विद्युत चोरी करने वालों एवं अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा कार्यवाही का विरोध किये जाने तथा किन्ही मामलों में उग्र व हिंसक विरोध किये जाने की घटनायें सामने आयी हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्रांक संख्या–138/पीएससीएच/18 दिनांक 30.04.2018 के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वितरण निगमों के नियन्त्रणाधीन क्षेत्रों में रेड की कार्यवाही सम्पादित किये जाते समय सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं के अनुरोध पर पर्याप्त पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

उपर्युक्त सम्बन्ध में विभिन्न वितरण क्षेत्रों में विद्युत चोरी रोकने हेतु योजनाबद्ध रूप से सफलतापूर्वक रेड की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है एवं रेड कार्यों में लगे कार्मिकों को सुरक्षा प्रदान करना भी आवश्यक है, जिससे कार्मिकों के मनोबल पर किसी प्रकार का प्रतिगामी प्रभाव न पड़े। वितरण निगमों के नियन्त्रणाधीन किसी क्षेत्र में रेड की कार्यवाही सम्पादित किये जाते समय यदि विभागीय कार्मिकों के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्रता अथवा किसी प्रकार की हिंसा की जाती है तो उस सम्बन्ध में विभाग द्वारा पुलिस एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर हिंसा करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु समन्वय किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में:–

1. सम्बन्धित विद्युत वितरण मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) के आधार पर शीघ्र प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक समन्वय स्थापित किया जाये।

2. अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र) द्वारा जिला प्रशासन से आवश्यक सम्पर्क किये जाने के बावजूद भी प्रभावी कार्यवाही न होने की स्थिति में, वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं निदेशक (वाणिज्य); जिला एवं पुलिस प्रशासन के स्तर से प्रभावी कार्यवाही हेतु सम्पर्क/समन्वय करेंगे।

3. अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), सम्पूर्ण घटना क्रम के सम्बन्ध में वितरण निगम के निदेशक (वाणिज्य) को अवगत कराते हुये **संलग्न प्रपत्र** के अनुसार घटना का विवरण मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–द्वितीय) को ई–मेल (cemduppcl@gmail.com तथा backofficeuppcl@gmail.com पर) के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–द्वितीय) द्वारा इस सम्बन्ध मे उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय/अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) को तत्परिशनि सम्पादित कराने हेतु अपेक्षित कार्यवाही हेतु अनुश्रवण किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा" शक्ति भवन विस्तार,
चतुर्थ तल, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
फोन नं0 : 0522–22878696

पत्रांक : 407 मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/रेड इकाई/डिस्काम, दिनांक : 13 /07/2018

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को,
कानपुर।

विषय : उपभोक्ताओं के परिसरों में स्थापित Metering Equipment की सुरक्षा के उत्तरदायित्व एवं मीटर रूम में ताला लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विद्युत चोरी रोकने हेतु कार्ययोजना एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिनांक 21.06.2018 को सम्पन्न बैठक में उपभोक्ताओं के परिसरों में स्थापित Metering Equipment की सुरक्षा के उत्तरदायित्व एवं मीटर रूम में उपभोक्ता द्वारा ताला लगाये जाने की दशा में, विभागीय टीम द्वारा उपभोक्ता परिसर की चेकिंग के दौरान आने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में हुई चर्चा के क्रम में **उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता–2005 के खण्ड 4.17** में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नवत आदेशित किया जाता है :–

1. उपभोक्ता के परिसर के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी के उपकरणों की सुरक्षित अभिरक्षा और मीटर/मापन उपकरण पर सील की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायित्व उपभोक्ता पर होगा।

2. Metering Equipment की सुरक्षा एवं किसी भी दुर्घटना से बचाव हेतु उपभोक्ता द्वारा Metering Room में ताला लगाये जाने की दशा में एक चाबी स्वयं रखते हुए, ताले की दूसरी चाबी (Duplicate Key) अधिशासी अभियन्ता (वितरण खण्ड) को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3. विभागीय/सतर्कता टीम द्वारा उपभोक्ता परिसर का औचक निरीक्षण किये जाने की स्थिति में यदि तत्काल Metering Room की चाबी उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो चेकिंग/निरीक्षण टीम, जिसमें सहायक अभियन्ता (मीटर), उपखण्ड अधिकारी अथवा उससे उच्च स्तर का अधिकारी शामिल होगा, द्वारा Metering Room के ताले की चाबी उपलब्ध न होने को रिकार्ड करते हुए, ताला तोड़ दिया जाये एवं चेकिंग टीम द्वारा उपभोक्ता परिसर में निरीक्षण/चेकिंग की अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। तद्नुसार सम्बन्धित अधिकारी द्वारा लिखित रूप से उपभोक्ता को सूचित कर दिया जाये।

कृपया अपने वितरण निगम के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से आदेशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

Sd-

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या – 1455 / चौबीस–पी–2–2018 / सा0(60) / 2018

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक
उत्तर प्रदेश।

ऊर्जा अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांकः 16 जुलाई, 2018

विषय : विद्युत चोरी की रोकथाम की कार्यवाही में तथा विद्युत आपूर्ति बनाये रखने में लगे विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा तथा उनके विरूद्ध हुई मारपीट अथवा हिंसात्मक घटनाओं के मामलों में तत्परतापूर्वक प्रभावी कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विद्युत चोरी की रोकथाम के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही सम्पन्न कराने और इस अभियान में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके विरूद्ध मारपीट अथवा हिंसात्मक घटना की स्थिति में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1010 / 24–पी–3–2018–बैठक –227 / 2015, दिनांक 11 मई, 2018 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे।

2– प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की गई है जिसमें जिला प्रशासन से भी सहयोग मिल रहा है। कुछ स्थानों पर विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए की जा रही कार्यवाही के दौरान तथा विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होने की स्थिति में विद्युत चोरी में लिप्त व्यक्तियों तथा अराजक तत्वों द्वारा विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों / कर्मचारी के साथ मारपीट / हिंसा की घटनाएं सूचित की गई हैं। ऐसे मामलों में जिला प्रशासन द्वारा तत्परता से प्रभावी कार्यवाही करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए चलाया गया अभियान सफलतापूर्वक संचालित होने और विद्युत आपूर्ति बनाए रखने में कोई कठिनाई न आए। तत्परतापूर्वक प्रभावी कार्यवाही इसलिए भी आवश्यक है कि इससे जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना रहे और उनका मनोबल किसी प्रकार से कम न हो।

3– उपरोक्त को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ मारपीट / हिंसा के प्रकरणों में तत्परतापूर्वक अभियोग पंजीकृत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए जिसमें अपराध की गम्भीरता के अनुरूप कानून की धाराओं को लगाया जाए और उसके पश्चात् विधि के अनुसार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाए।

4– इस सम्बन्ध में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा–332, 333 तथा 353 में लोक सेवकों को क्षति / गम्भीर क्षति पहुँचाने अथवा उन पर हमला करने के अपराधों के सम्बन्ध में सम्यक् दण्ड का प्राविधान है। इन धाराओं का गम्भीर प्रकरणों में उपयोग किया जाए। इन धाराओं में अपराध संज्ञेय एवं गैरजमानती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 में यह भी प्राविधान है कि सरकारी कम्पनियों की सेवा में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। सभी विद्युत वितरण निगम उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व की कम्पनी यू0पी0पी0सी0एल0 की पूर्णतया सब्सिडरी है।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0

1764/CM/2018
16/07/2018
MD
D.E (Com-2)
SE (Raid)

5— उक्त के अतिरिक्त क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेन्ट एक्ट 1932 की धारा–7 में भी किसी व्यक्ति को अपने कार्य से रोकने, डराने तथा धमकाने के लिए पर्याप्त प्राविधान उपलब्ध हैं जिनका उपयोग भी गम्भीरता के दृष्टिगत ऐसे प्रकरणों में किया जा सकता है।

6— यह भी उल्लेखनीय है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 के प्राविधानों का उपयोग पब्लिक आर्डर बनाए रखने के साथ–साथ आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को बनाए रखने के विरूद्ध कार्यवाही करने वाले व्यक्तियों के प्रकरणों में भी किया जा सकता है। विद्युत आपूर्ति बनाए रखना आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित है अतः अत्यन्त गम्भीर प्रकरणों में इस कानून के प्राविधानों का भी उपयोग करने पर कृपया विचार कर लिया जाए।

7— यदि लोक सम्पत्ति को क्षति का प्रकरण हो तो लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा–3 एवं 4 (यथाप्रभावी) भी प्रयोग की जाए।

8— विद्युत चोरी की प्रभावी रोकथाम करना शासन की उच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। अतः कृपया विद्युत चोरी की रोकथाम करने अथवा विद्युत आपूर्ति बनाए रखने में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मारपीट अथवा हिंसा के प्रकरणों में जनपद स्तर पर नियमानुसार तत्परता से कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और ऐसे प्रकरणों की गम्भीरता के दृष्टिगत वर्तमान कानूनों में उपलब्ध प्राविधानों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

संख्याः 1455(1)/चौबीस–पी–2–2018/सा0(60)/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कराने के लिए प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन, उ0प्र0 शासन।
2– अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
3– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7– प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0, मेरठ/पूर्वान्चल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/मध्यांचल वि0वि0नि0लि0, लखनऊ/ दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0, आगरा/ केस्को, कानपुर।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

अपर्णा यू0
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ – 226 001
ई मेल–**mduppcl12@gmail.com**
☎ : 0522–2288377 (O)
(फैक्स) : 0522–2288410

पत्रांक संख्या :496 मु0अभि0 (वा0एवं ऊ0ले0)/रेड इकाई/शासन, दिनांक : 09/08/2018

प्रमुख सचिव (ऊर्जा),
बापू भवन,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

विषय :– विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–152 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आर्थिक रुप से निर्बल वर्ग के लोगों के विद्युत चोरी करते पकड़े जाने पर उनके लिए शमन शुल्क की धनराशि में कमी किये जाने हेतु आवश्यक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–152 (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत विद्युत चोरी के अपराध के प्रशमन की वर्तमान दरें एवं नियमावली निम्नवत् है :–

"धारा–152 अपराधों का प्रशमन.–(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, समुचित सरकार या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी उपभोक्ता या व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय विद्युत की चोरी का अपराध किया है या जिसके द्वारा किये जाने का समुचित रूप से सन्देह है, अपराध के प्रशमन के रूप में नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट धनराशि स्वीकार कर सकेगा :–

सारणी :

सेवा की प्रकृति		वह दर, जिस पर प्रशमन के लिये धनराशि निम्न विभव (एल0टी0) प्रदाय के लिये प्रति किलोवाट/अश्वशक्ति या उसके भाग और उच्च विभव (एच0टी0) के लिये संविदा की गई मांग के प्रति किलोवाट एम्पीयर/अश्वशक्ति (के0वी0ए0) पर संगृहीत की जाएगी।
	(1)	(2)
1.	औद्योगिक सेवा	बीस हजार रूपये
2.	वाणिज्यिक सेवा	दस हजार रूपये
3.	कृषिक सेवा	दो हजार रूपये
4.	अन्य सेवायें	चार हजार रूपये

"

इसी धारा में यह भी प्राविधान है कि :–

"परन्तु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऊपर सारणी में विनिर्दिष्ट दरों को संशोधित कर सकेगी"

ज्ञातव्य हो कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभाग द्वारा की जा रही मास रेड की कार्यवाही, पुलिस प्रवर्तन दल एवं विभागीय टीमों द्वारा की की जा रही प्रवर्तन की कार्यवाही में कतिपय आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के लोग भी कटिया के द्वारा विद्युत का प्रयोग करते हुये पकड़े जाते हैं, और उनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–135 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी जाती है। शमन शुल्क की धनराशि अधिक होने के कारण गरीब व्यक्ति इसका भुगतान कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं एवं नियमित विद्युत संयोजन प्राप्त कर विभाग के बिलिंग नेटवर्क में शामिल नहीं हो पाते हैं।

उपर्युक्त के दृष्टिगत यह उचित होगा कि 01 किलोवाट भार की घरेलू एवं वाणिज्यिक उपयोग हेतु विद्युत चोरी करते पाये गये व्यक्तियों से शमन की शुल्क की वर्तमान दर क्रमशः रू0 4000/– एवं रू0 10000/– से घटाकर क्रमशः रू0 2000/– एवं रू0 5000/– कर दी जाय। जिसके लिये विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–152 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उ0प्र0 सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–152 में दी गयी शमन–शुल्क की तालिका को निम्नवत् संशोधित कर दिया जाय :–

सारणी :

सेवा की प्रकृति			वह दर, जिस पर प्रशमन के लिये धनराशि निम्न विभव (एल0टी0) प्रदाय के लिये प्रति किलोवाट/अश्वशक्ति या उसके भाग और उच्च विभव (एच0टी0) के लिये संविदा की गई मांग के प्रति किलोवाटएम्पीयर/अश्वशक्ति (के0वी0ए0) पर संगृहीत की जाएगी।
1.	औद्योगिक सेवा		बीस हजार रूपये
2.	वाणिज्यिक सेवा	1 किलो वॉट भार तक	पॉच हजार रूपये
		1 किलो वॉट भार से अधिक पर	दस हजार रूपये
3.	कृषिक सेवा		दो हजार रूपये
4.	अन्य सेवायें	1 किलो वॉट भार तक	दो हजार रूपये
		1 किलो वॉट भार से अधिक पर	चार हजार रूपये

उपर्युक्त सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कृपया विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–152 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, उ0प्र0 सरकार के स्तर से राजपत्र में आर्थिक वर्ग के लोगों के विद्युत चोरी करते पकड़े जाने पर उनके लिए, विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–152 में प्राविधानित शमन शुल्क की धनराशि को उपर्युक्त तालिकानुसार पुनर्निधारित करने के सम्बन्ध में तद्विषयक अधिसूचना प्रख्यापित कराने हेतु अपने स्तर से अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

सलंग्नकः–यथोपरि।

भवदीया,

Aparna. U.

(अपर्णा यू0)

प्रबन्ध निदेशक

Provided that no order of such cancellation shall be made without giving such person an opportunity of being heard.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, "licensing authority" means the officer who for the time being in force is issuing or renewing such licence or certificate of competency or permit or such other authorisation.]

151. Cognizance of offences.—No Court shall take cognizance of an offence punishable under this Act except upon a complaint in writing made by Appropriate Government or Appropriate Commission or any of their officer authorised by them or a Chief Electrical Inspector or an Electrical Inspector or licensee or the generating company, as the case may be, for this purpose.

[1][Provided that the Court may also take cognizance of an offence punishable under this act upon a report of a police officer filed under Section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

Provided further than a Special Court constituted under Section 153 shall be competent to take cognizance of an offence without the accused being committed to it for trial.]

[2][**151-A. Power of police to investigate.**—For the purposes of investigation of an offence punishable under this Act the police officer shall have all the powers as provided in Chapter XXI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

151-B. Certain offences to be cognizabale and non-bailable.—Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) an offence punishable under Sections 135 to 140 or Section 150 shall be cognizable and non-bailable.]

152. Compounding of offences.—(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Appropriate Government or any officer authorised by it in this behalf may accept from any consumer or person who committed or who is reasonably suspected of having committed an offence of theft of electricity punishable under this Act, a sum of money by way of compounding of the offence as specified in the Table below :

TABLE

Nature of Service	Rate at which the sum of money for compounding to be collected per Kilowatt (KW)/Horse Power (HP) or part thereof for Low Tension (LT) supply and per Kilo Volt Ampere (KVA) of contracted demand for High Tension (HT)
1	2
1. Industrial Service	twenty thousand rupees;
2. Commercial Service	ten thousand rupees;
3. Agricultural Service	two thousand rupees;
4. Other Services	four thousand rupees:

1. Ins. by Act No. 26 of 2007, Section 15 (w.e.f. 15.6.2007).
2. Ins. by Act No. 26 of 2007, Section 16 (w.e.f. 15.6.2007).

परन्तु यह कि रद्दकरण का ऐसा कोई भी आदेश ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण,—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो उस समय ऐसी अनुज्ञप्ति, सक्षमता के प्रमाण-पत्र या अनुमति पत्र या ऐसे अन्य प्राधिकरण को जारी कर रहा है या नवीनीकरण कर रहा है।]

151. अपराध का संज्ञान.—कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का तब के सिवाय संज्ञान नहीं लेगा जब यथास्थिति, समुचित सरकार या समुचित आयोग या मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक या अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी ने इस प्रयोजन के लिये लिखित में परिवाद न किया हो।

[1][परन्तु यह कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 173 के अधीन दाखिल की गई पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का न्यायालय संज्ञान भी ले सकेगा :

परन्तु यह और कि धारा 153 के अधीन गठित विशेष न्यायालय, अभियुक्त को विचारण के लिये उसको सुपुर्द किये बिना किसी अपराध का संज्ञान लेने को सक्षम होगा।]

[2][**151-क. पुलिस की अन्वेषण की शक्ति.**—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन के लिये पुलिस अधिकारी को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) के अध्याय बारह में उपलब्ध शक्तियाँ, प्राप्त होंगी।

151-ख. कतिपय अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) में कुछ भी होते हुये, धारा 135 से 140 या धारा 150 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।]

152. अपराधों का प्रशमन.—(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, समुचित सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी उपभोक्ता या व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय विद्युत की चोरी का अपराध किया है या जिसके द्वारा किये जाने का समुचित रूप से सन्देह है, अपराध के प्रशमन के रूप में नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट धनराशि स्वीकार कर सकेगा :—

सारणी

सेवा की प्रकृति	वह दर, जिस पर प्रशमन के लिये धनराशि निम्न विभव (एल० टी०) प्रदाय के लिये प्रति किलोवाट/अश्वशक्ति या उसके भाग और उच्च विभव (एच० टी०) के लिये संविदा की गई मांग के प्रति किलोवाट एम्पीयर/अश्वशक्ति (के० वी० ए०) पर संगृहीत की जाएगी।
(1)	(2)
1. औद्योगिक सेवा	बीस हजार रुपये
2. वाणिज्यिक सेवा	दस हजार रुपये
3. कृषिक सेवा	दो हजार रुपये
4. अन्य सेवायें	चार हजार रुपये

1. अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2007, धारा 15 द्वारा दिनांक 15-6-2007 से अन्तःस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2007, धारा 16 द्वारा दिनांक 15-6-2007 से अन्तःस्थापित।

Provided that the Appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, amend the rates specified in the Table above.

(2) On payment of the sum of money in accordance with sub-section (1), any person in custody in connection with that offence shall be set at liberty and no proceedings shall be instituted or continued against such consumer or person in any Criminal Court.

(3) The acceptance of the sum of money for compounding an offence in accordance with sub-section (1) by the Appropriate Government or an officer empowered in this behalf shall be deemed to amount to an acquittal within the meaning of Section 300 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(4) The compounding of an offence under sub-section (1) shall be allowed only once for any person or consumer.

PART XV
SPECIAL COURTS

153. Constitution of Special Courts.—(1) The State Government may, for the purposes of providing speedy trial of offences referred to in [1][Sections 135 to 140 and Section 150], by notification in the Official Gazette, constitute as many Special Courts as may be necessary for such area or areas, as may be specified in the notification.

(2) A Special Court shall consist of a single Judge who shall be appointed by the State Government with the concurrence of the High Court.

(3) A person shall not be qualified for appointment as a Judge of a Special Court unless he was, immediately before such appointment, as Additional District and Sessions Judge.

(4) Where the office of the Judge of a Special Court is vacant, or such Judge is absent from the ordinary place of sitting of such Special Court, or he is incapacitated by illness or otherwise for the performance of his duties, any urgent business in the Special Court shall be disposed of—

(*a*) by a Judge, if any, exercising jurisdiction in the Special Court;

(*b*) where there is no such other Judge available, in accordance with the direction of District and Sessions Judge having jurisdiction over the ordinary place of sitting of Special Court, as notified under sub-section (1).

154. Procedure and power of Special Court.—(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), every offence punishable under [2][Sections 135 to 140 and Section 150] shall be triable only by the Special Court within whose jurisdiction such offence has been committed.

(2) Where it appears to any Court in the course of any inquiry or trial that an offence punishable under [3][Sections 135 to 140 and Section 150] in respect of any offence that the case is one which is triable by a Special Court constituted

1. Subs. by Act No. 26 of 2007, Section 17 (w.e.f. 15.6.2007).
2. The words and figures, "Sections 135 to 139", subs. by Act No. 26 of 2007, Section 18 (i) (w.e.f. 15.6.2007).
3. The words and figures, "Sections 135 to 139", subs. by Act No. 26 of 2007, Section 18 (i) (w.e.f. 15.6.2007).

परन्तु समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऊपर सारणी में विनिर्दिष्ट दरों को संशोधित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अनुसार धनराशि कासंदाय कर दिये जाने पर उस अपराध के सम्बन्ध में अभिरक्षा में रह रहे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरुद्ध किसी दाण्डिक न्यायालय में कोई कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं की जाएंगी या जारी नहीं रखी जाएंगी।

(3) उपधारा (1) के अनुसार किसी अपराध का प्रशमन करने के लिये समुचित सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धनराशि का ग्रहण किया जाना, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 300 के अर्थान्तर्गत दोषमुक्ति मानी जाएगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन किसी व्यक्ति या उपभोक्ता के लिये एक ही बार अनुज्ञात किया जाएगा।

भाग 15
विशेष न्यायालय

153. विशेष न्यायालयों का गठन.— (1) राज्य सरकार, [1][धारा 135 से 140 तक तथा धारा 150] में निर्दिष्ट अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबन्ध करने के प्रयोजनों के लिये, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों का, जितने ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये आवश्यक हों, गठन कर सकेगी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें।

(2) कोई विशेष न्यायालय एकल न्यायाधीश से मिलकर बनेगा, जो उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति तब तक विशेष न्यायालय, न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये अर्हित नहीं होगा, जब तक ऐसी नियुक्ति से ठीक पहले वह अपर जिला और सेशन न्यायाधीश न हो।

(4) जहां विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का पद रिक्त है या ऐसा न्यायाधीश ऐसे विशेष न्यायालय की सामान्य बैठक के स्थान से अनुपस्थित है या वह बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों के अनुपालन के लिये असमर्थ हैं तो विशेष न्यायालय का कोई अत्यावश्यक कार्य हो—

(क) विशेष न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायाधीश द्वारा, यदि कोई हो,

(ख) जहां कोई ऐसा अन्य न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो उपधारा (1) के अधीन यथाअधिसूचित विशेष न्यायालय की बैठक के सामान्य स्थान पर अधिकारिता रखने वाले जिला और सेशन न्यायाधीश के निदेश के अनुसार, निपटाया जाएगा।

154. विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्ति.— (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुये भी [2][धारा 135 से 140 तक तथा धारा 150] के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध केवल ऐसे विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसा अपराध किया गया था।

(2) जहां किसी जाँच या विचारण के अनुक्रम में, किसी न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि [3][धारा 135 से 140 तक तथा धारा 150] के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किसी ऐसे अपराध की बाबत ऐसा मामला है जो ऐसे क्षेत्र में उद्भूत हुआ है जिसके लिये इस

1. अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2007, धारा 17 द्वारा दिनांक 15-6-2007 से प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2007, धारा 18 (i) द्वारा दिनांक 15-6-2007 से प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2007, धारा 18 (i) द्वारा दिनांक 15-6-2007 से प्रतिस्थापित।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा" शक्ति भवन विस्तार,
चतुर्थ तल, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
फोन नं0 : 0522-22878696

पत्रांक संख्या : मु0अभि0 (वाणिज्य-II)/रेड इकाई/डिस्काम, दिनांक : 01/09/2018

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को,
कानपुर।

महत्वपूर्ण

विषयः-विद्युत चोरी में पकड़े गये व्यक्तियों के विरूद्ध राजस्व निर्धारण बिल का एक तिहाई (1/3) भुगतान प्राप्त कर नया विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता परिसरों में विद्युत चोरी पाये जाने पर उ0प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता-2005 के बिन्दु 8.1 (b)(v) में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपभोक्ता के विरूद्ध किये गये राजस्व निर्धारण बिल के भुगतान की अन्तिम तारीख का विस्तार किये जाने एवं उपभोक्ता की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत किस्तों में भुगतान अनुमन्य किये जाने का प्राविधान है।

किन्तु ऐसे परिसर जिन पर नियमित विद्युत संयोजन नहीं है, उन मामलों में उ0प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता-2005 के बिन्दु 8.1 (a)(x) के अनुसार पूर्ण राजस्व निर्धारण बिल का भुगतान करने के उपरान्त ही नियमित विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान की वजह से ऐसे व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है एवं राजस्व निर्धारण बिल का एकमुश्त भुगतान कर पाने में सक्षम नहीं हैं, नियमित विद्युत संयोजन प्राप्त कर विभाग के बिलिंग नेटवर्क में शामिल नहीं हो पाते हैं, जिसके फ़लस्वरूप उनके पुनः विद्युत चोरी में लिप्त होने की संभावनायें अत्यधिक बढ़ जाती हैं।

उपर्युक्त के दृष्टिगत माननीय उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग से उ0प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता-2005 के बिन्दु 8.1 (a)(x) में प्रस्तावित संशोधन पर निर्णय के प्रतिबधाधीन, मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे परिसर जिनमें नियमित विद्युत संयोजन नहीं है एवं विद्युत चोरी पाई गई है, उनमें से ऐसे इच्छुक व्यक्ति, जिनके द्वारा नये संयोजन लिये जाने हेतु आवेदन भी किया जाता है, उनसे राजस्व निर्धारण बिल का न्यूनतम एक तिहाई (1/3) भुगतान प्राप्त कर, नियमित विद्युत संयोजन निर्गत कर दिया जाये एवं शेष राजस्व निर्धारण की धनराशि की वसूली, उनके नियमित विद्युत संयोजन के बीजक में प्रभारित कर अथवा अधिकतम तीन किश्तों में सुनिश्चित की जाये।

भवदीया,

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक संख्या-539 मु0 अभि0(वाणिज्य-2)/तद्दिनांक 01/09/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा, एवं केस्को कानपुर।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/ आगरा, एवं केस्को कानपुर।

Aparna. U.
(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा" शक्ति भवन विस्तार,
चतुर्थ तल, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
फोन नं0 : 0522–22878696

पत्रांक संख्या : मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/रेड इकाई/डिस्काम, दिनांक : /09/2018

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को,
कानपुर।

महत्वपूर्ण

विषयः– प्रवर्तन दलों के संचालन हेतु सहयोगी स्टाफ एवं अन्य संसाधनो की उपलब्धता कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में विद्युत चोरी रोकने हेतु कार्ययोजना एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिनांक 05.09.2018 को सम्पन्न बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) द्वारा अवगत कराया गया कि 20 नव गठित प्रवर्तन दलों हेतु अवर अभियन्ता एवं कार्यालय/वाहन आदि में से सभी संसाधनो की उपलब्धता न होने (सूची संलग्न **'क'** के अनुसार) के कारण कई नये प्रवर्तन दलों को कियाशील करने में कठिनाई हो रही है।

आप अवगत है कि वर्तमान में सतर्कता स्कन्ध के नियन्त्रणाधीन कार्यरत 53 प्रवर्तन दलों के माध्यम से विभिन्न वितरण क्षेत्रों में सघन रूप से रेड की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। इस सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या–575–मु0अभि0 (वाणिज्य–2)/रेड इकाई/का0ज्ञा0, दिनांक 10.09.2018 द्वारा प्रवर्तन दलों की संयुक्त टीमें गठित कर चिन्हित 17 शहरों में कार्ययोजना तैयार कर प्रत्येक सप्ताह के तीन दिन सघन रूप से कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

उपर्युक्त सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने वितरण निगम के नियन्त्रणाधीन कार्यरत सतर्कता स्कन्ध के सभी प्रवर्तन दलों (नव गठित प्रवर्तन दलों को शामिल करते हुए) हेतु अवर अभियन्ताओं की तैनाती सुनिश्चित करते हुए कार्यालय, वाहन, लैपटाप आदि अन्य आवश्यक संसाघन भी उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारीयों को आदेशित करने का कष्ट करें।

कृपया उपर्युक्त सम्बन्ध में अपने वितरण निगम से सम्बन्धित विवरण की अद्यतन स्थिति से कारपोरेशन मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्रांकः 599/मु0अभि0(वाणिज्य–II)/तददिनांकः 17/09/2018

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव/स्टाफ आफिसर, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

5. निदेशक (वाणिज्य)/(कार्मिक), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा, एवं केस्को, कानपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–द्वितीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा, एवं केस्को, कानपुर।

संलग्नकः यथोपरि।

(ए0के0 श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

संलग्नक: "क"

नवगठित प्रवर्तन दलों में उपलब्ध संसाधनों का वितरण

क्र0सं0	वितरण निगम	नवगठित प्रवर्तन दल का नाम	अवर अभियन्ता	कार्यालय	वाहन	लैपटाप आदि अन्य उपकरण
1.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0	प्रतापगढ़	है	है	है	नहीं
		गजीपुर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
		मीरजापुर	है	है	है	है
		मऊ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
		सिद्धार्थनगर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
		देवरिया	है	है	नहीं	नहीं
2.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0	लेसा–तृतीय	है	है	है	नहीं
		बाराबंकी	है	है	है	है
		लखीमपुर खीरी	नहीं	है	नहीं	नहीं
		सुल्तानपुर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
		गोण्डा	है	है	नहीं	है
		बहराईच	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
		शाहजहांपुर	है	नहीं	नहीं	नहीं
3.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0	इटावा	है	है	है	है
		कन्नौज	नहीं	है	है	नहीं
		महोबा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
		जालौन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
		एटा	है	है	है	है
4.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0	अमरोहा	है	है	है	नहीं

अपर्णा यू0
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –226001
ई–मेल : mduppcl12@gmail.com
दूरभाष – (0522) 2288377(O)
फैक्स – (0522) 2288410
CIN : 32201UP1999SGC024928

पत्र संख्या : 635 मु0अभि0 (वाणिज्य–2)/रेड इकाई, दिनांक : 05/10/2018

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को,
कानपुर।

विषयः– माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 05.10.2018 को दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 05.10.2018 को शक्ति भवन में की गयी बैठक में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विद्युत चोरी के विरूद्ध उपभोक्ता परिसरों में रेड्स की कार्यवाही सम्पादित किये जाने एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नलिखित आदेश दिये गये हैं:–

1. रेड्स की कार्यवाही के दौरान विद्युत चोरी करते पकड़े गये उपभोक्ताओं के विरूद्ध क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से राजस्व निर्धारण किया जा रहा है, जिसके कारण राजस्व निर्धारण की वसूली लम्बित रहती है एवं गलत राजस्व निर्धारण के कारण विभाग की छवि धूमिल होती है।

उपर्युक्त सम्बन्ध में विद्युत चोरी अथवा विद्युत के अनाधिकृत उपभोग करते पकड़े गये उपभोक्ताओं के प्रकरणो में राजस्व निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कारपोरेशन के पत्र संख्या–48–पीएसडीसी/पाकालि/2018 दिनांक 06.07.2018 द्वारा निर्गत तद्विषयक आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जिससे उपभोक्ताओं के विरूद्ध सही राजस्व निर्धारण किया जा सके एवं भविष्य में विभाग के विरूद्ध किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति उत्पन्न न हो।

2. विद्युत चोरी करते पकड़े गये उपभोक्ताओं एवं व्यक्तियों के विरूद्ध राजस्व निर्धारण के बिलों को किस्तों में भुगतान किये जाने की सुविधा दी जाये।

उपर्युक्त सम्बन्ध में कारपोरेशन के पत्र संख्या–539–मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/रेड इकाई/डिस्काम, दिनांक 01.09.2018 एवं पत्र संख्या–540–मु0अभि0(वाणिज्य–II)/रेड इकाई/डिस्काम, दिनांक 04.09.2018 का क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3. प्रत्येक विद्युत उपकेन्द्र से पोषित 5 किलोवाट एवं उससे अधिक विद्युत भार वाले, एल.टी. एवं एच.टी. उपभोक्ताओं की श्रेणीवार सूची तैयार कर ली जाय। प्रत्येक वितरण क्षेत्र में उपभोक्ता परिसरों में रेड्स की कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु रणनीति तैयार कर ली जाय। 5 किलोवाट एवं उससे अधिक विद्युत भार के परिसरों में रेड की कार्यवाही एवं एफ.आई.आर. दर्ज कराने की वीडियो ग्राफी भी करा ली जाय।

प्रत्येक रेड टीम द्वारा उपभोक्ता परिसर में रेड्स की कार्यवाही किये जाने के उपरान्त उसी दिन विद्युत उपकेन्द्र अथवा सम्बन्धित विद्युत कार्यालय में आकर रेड्स से सम्बन्धित कार्यवाही की गुणवत्ता (Effectiveness of Raids Conducted) का विवरण तैयार कर लिया जाये।

4. जिन क्षेत्रों में निर्धारित तिथि/कार्यक्रमानुसार रेड्स/चेकिंग की कार्यवाही सम्पादित की जाती है, उन क्षेत्रों से सम्बन्धित विद्युत उपकेन्द्रों/कैश काउन्टर पर विभागीय कार्मिकों की उपलब्धता बनी रहे, जिससे इच्छुक उपभोक्ताओं द्वारा विभागीय बकाया बिल जमा करने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

5. 5 किलोवाट से कम विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं के परिसरों में विद्युत चोरी की शिकायत होने पर सतर्कता स्कन्ध के पुलिस कान्सटेबल एवं विभागीय तकनीकी कार्मिकों द्वारा चेकिंग की जाये, जिससे विद्युत चोरी के विरूद्ध विभाग द्वारा की जा रही रेड्स की कार्यवाही से सचेत होते हुए उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत चोरी के माध्यम से विद्युत का उपभोग किये जाने की प्रवृत्ति को समाप्त किया जा सके।

6. दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0 एवं केस्को के अन्तर्गत कई क्षेत्रों में वितरण निगम के भौगोलिक क्षेत्र सम्बन्धी विवाद बना रहता है। जिस कारण उन क्षेत्रों में रेड्स की कार्यवाही प्रभावी ढंग से नहीं होती है। उपर्युक्त सम्बन्ध में दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0 एवं केस्को के निदेशक (वाणिज्य) यह सुनिश्चित कर ले कि उनके वितरण निगम के नियन्त्रणाधीन किसी भी क्षेत्र में रेड्स की कार्यवाही सम्पादित किये जाते समय नियन्त्रण सम्बन्धी कोई विवाद न रहे एवं सम्बन्धित विद्युत उपकेन्द्र द्वारा पोषित उपभोक्ताओं के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर रेड्स की कार्यवाही की रणनीति के सम्बन्ध में समुचित निर्णय लिया जाय।

7. वितरण निगमों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि विभिन्न क्षेत्रों में रेड्स की कार्यवाही सम्पादित किये जाने एवं विद्युत चोरी करते पकड़े गये उपभोक्ताओं के विरूद्ध अग्रेतर कार्यवाही सम्पादित किये जाने में विभागीय कार्मिकों द्वारा किसी प्रकार के अनुचित तरीकों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है एवं उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की धमकी नहीं दी जा रही है। विद्युत चोरी करते पकड़े गये उपभोक्तओं के विरूद्ध राजस्व निर्धारण एवं वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

8. सभी वितरण निगमों द्वारा रेड्स की कार्यवाही हेतु तैयार की गयी रणनीति एवं उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विवरण पावर कारपोरेशन मुख्यालय को भी सूचित किया जाय।

9. वितरण निगमों के नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में रू0 50,000 तक एवं उससे अधिक विद्युत बकाया वाले उपभोक्ताओं की अलग–अलग सूची तैयार कर उनसे बकाया धनराशि की वसूली किये जाने हेतु रणनीति तैयार कर ली जाय एवं वितरण निगम मुख्यालय स्तर पर कार्यवाही कर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

उपर्युक्त सम्बन्ध में कारपोरेशन के पत्र संख्या–659–स्टा0आफि0/(स0अ0)/पाकालि/2018 दिनांक 05.09.2018 के माध्यम से अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये आदेशो का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय।

10. ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिल अथवा बकाया जमा करने सम्बन्धी दिक्कतों के दृष्टिगत रेड्स की कार्यवाही करते समय मोबाइल कलैक्शन वैन उपलब्ध करायी जाये जिससे उपभोक्ता अपने विद्युत बिल अथवा बकाया बिल का भुगतान आसानी से कर सके।

उपभोक्ताओं द्वारा अपने विद्युत बकायों के Online भुगतान की सुविधा का उपयोग करने हेतु Set of Instructions की उपलब्धता करायी जाये, जिससे उपभोक्ताओं को विद्युत बिलो का Online भुगतान किये जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

इस सम्बन्ध में कई क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिल जमा करते समय Internet अथवा अन्य तकनीकी सम्स्याओं के कारण विद्युत बिलों के भुगतान में आने वाली परेशानियों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाय एवं वितरण निगमों द्वारा सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

11. विद्युत चोरी के विरूद्ध रेड्स की कार्यवाही सम्पादित किये जाने के उपरान्त जिन उपभोक्ताओं का संयोजन विच्छेदित किया जाता है उनके परिसरो पर विभाग द्वारा विच्छेदित संयोजन की वस्तुस्थिति जानने हेतु पुनः चेकिंग की जाये। यदि किसी क्षेत्र में विच्छेदित विद्युत संयोजन की चेकिंग के समय संयोजन पुनः संयोजित पाया जाता है तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्र के कार्मिकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उपर्युक्त सबन्ध में मा0 ऊर्जा मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने स्तर से वितरण निगम के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें एवं वितरण निगम मुख्यालय स्तर पर निगम के नियन्त्रणाधीन वितरण क्षेत्रों में मा0 ऊर्जा मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन का अनुश्रवण सुनिश्चित करें।

भवदीया,

Aparna. U.

(अपर्णा यू0)

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 635/मु0अभि0(वाणिज्य–II)/तद्दिनांकः 05/10/2018

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, उ0प्र0 सरकार के निजी सचिव, शक्ति भवन लखनऊ को महोदय के सादर संज्ञानार्थ।
2. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव/स्टाफ आफिसर, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. निदेशक (वाणिज्य),उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
5. निदेशक (वाणिज्य)/(कार्मिक), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा, एवं केस्को, कानपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–द्वितीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा, एवं केस्को, कानपुर।

Aparna. U

(अपर्णा यू0)

प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग–3
संख्या: 7142/चौबीस–पी–3–2018
लखनऊ : दिनांक 22 नवम्बर, 2018

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 152 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल विद्युत चोरी के अपराध में प्रशमन प्रभारों की दरों में नीचे सारिणी में यथाविनिर्दिष्ट रूप में संशोधन करते हैं :–

सारिणी

सेवा की प्रकृति		वह दर, जिस पर प्रशमन–धनराशि निम्न विभव (एल0टी0) प्रदाय के लिये प्रति किलोवाट/अश्वशक्ति या उसके आंशिक भाग पर और उच्च विभव (एच0टी0) के लिये संविदाकृत मांग के प्रति किलोवाट एम्पीयर पर संगृहीत की जायेगी।
1		2
1. औद्योगिक सेवा		बीस हजार रूपये;
2. वाणिज्यिक सेवा	1 किलो वॉट तक	पांच हजार रूपये;
	1 किलो वॉट से अधिक	दस हजार रूपये;
3. कृषि सेवा		दो हजार रूपये;
4. अन्य सेवायें	1 किलो वॉट तक	दो हजार रूपये;
	1 किलो वॉट से अधिक	चार हजार रूपये;

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या 7142 (1)/चौबीस-पी-3-2018 दिनांक 22 नवम्बर, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. सचिव, विद्युत नियामक आयोग, किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, जल विद्युत निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, विभूति खण्ड--2, गोमती नगर, लखनऊ।
11. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को आगामी सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग--4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराके उसकी 500 प्रतियाँ ऊर्जा अनुभाग-3 को भेजने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव

UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution. the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 7142/XXIV-P-3-2018, Dated -22/11/18

NOTIFICATION

No. 7142/24-P-3-2018
Lucknow Dated 22 November , 2018.

In exercise of the powers under proviso to sub-section (1) of section-152 of the Electricity Act. 2003. (Act no. 36 of 2003) the Governor is pleased to amend the rates of the compounding charges in the offence of theft of electricity as specified in the table below :-

TABLE

Nature of Service	Rate at which the sum of money for compounding to be collected per kilowatt (KW)/Horse Power (HP) or part thereof for Low Tension (LT) supply and per Kilo Volt Ampere (KVA) of contracted demand for High Tension (HT)
1	2
1. Industrial Service	twenty thousand rupees;
2. Commercial Service	
Upto 1 kilowatt	five thousand rupees;
More than 1 kilowatt	ten thousand rupees;
3. Agricultural Service	two thousand rupees;
4. Other Services	
Upto 1 kilowatt	two thousand rupees;
More than 1 kilowatt	four thousand rupees;

By Order

(Alok Kumar)
Principal Secretary.

NO.7/4(1)/ 24-P-3-2018, Date 22 November, 2018

Copy forwarded to following for information & necessary action:-

1. Chairman, U. P. Power Corporation Ltd. Shakti Bhawan, Lucknow.
2. Secretary, Electricity Regulatory Commission, Kisaan Mandi Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow.
3. Managing Director, U. P. Power Corporation Ltd. Shakti Bhawan, Lucknow.
4. Managing Director, Madhyanchal/Purvanchal/Pachimanchal/Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. Lucknow/Varanasi/Meerut/Agra.
5. Managing Director, KESCO, Kanpur.
6. Managing Director, Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. Shakti Bhawan, Lucknow.
7. Managing Director, Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Ltd. Lucknow.
8. Managing Director, Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd. Lucknow.
9. All District Magistrate of Uttar Pradesh.
10. Director, Electrical Safety, U.P.Government, Vibhuti Khand-2, Gomti Nagar, Lucknow.
11. Joint Director, Government Press, Aishbagh Lucknow with the request to publish this notification in the forthcoming extraordinary gazette of Government of U.P. in Legislative Annexure part-4, section (b) and kindly send 500 copies to Energy Section-3.
12. Guard File.

By order

(Mahavir Prasad Gautam)
Deputy Secretary

आलोक कुमार
आई०ए०एस०
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14- अशोक मार्ग, लखनऊ -226001
ई-मेल : chairmanppcl12@gmail.com
दूरभाष - (0522) 2287827(O)
फैक्स - (0522) 2287785
CIN : 32201UP1999SGC024928

पत्र संख्या : 806 मु०अभि० (वाणिज्य-II)/रेड इकाई,

दिनांक 03/12/2018

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को,
कानपुर।

महत्वपूर्ण

विषयः- विद्युत चोरी करते पकड़े गये व्यक्तियों/उपभोक्ताओं के विरूद्ध पुलिस थानों में दर्ज कराये जाने वाली एफ.आई.आर. में कानूनी कमियॉ होने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अपर जिला सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश मथुरा ने अपने पत्र दिनांक 22.10.2018 द्वारा विद्युत चोरी के प्रकरणों में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा दर्ज करायी जाने वाली एफ.आई.आर. में कई कमियॉ छोड़ देने का उल्लेख किया है, जिससे मा0 न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उपर्युक्त सम्बन्ध में अपने वितरण निगम के सभी सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को विद्युत चोरी के प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज कराते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आदेशित करने का कष्ट करें :-

1- a.) विद्युत चोरी के प्रत्येक अपराध के लिए अलग-अलग तहरीर के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाय। तहरीर में विद्युत चोरी करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, पता एवं विद्युत उपभोक्ता होने पर उसका विद्युत संयोजन संख्या आदि के विवरण का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

b.) एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु तहरीर में घटना स्थल का स्पष्ट विवरण/घटना का दिनांक/घटना का समय एवं विद्युत भार व विधा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय।

c.) एफ.आई.आर. दर्ज कराते समय तहरीर में, मौके पर उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों (हमराही); जिस गाड़ी से मौके पर पहुचे हों, उस गाड़ी का नम्बर तथा ड्राईवर के नाम का भी उल्लेख किया जाये।

2. विद्युत चोरी के प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज कराते समय तहरीर के साथ, चेकिंग टीम द्वारा उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता-2005 के **प्रस्तर** 8.1 में उल्लिखित **संलग्नक** 6.4 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में तैयार, चेकिंग रिपार्ट की एक प्रति संलग्न की जाये।

3. विद्युत चोरी पाये जाने तथा संयोजन विच्छेदन के 24 घण्टे के अन्दर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट बिलम्ब से दर्ज कराये जाने की स्थिति में बिलम्ब का युक्ति-युक्ति कारण तहरीर में स्पष्ट किया जाना चाहिए।

4. विद्युत संयोजन धारी एवं उपभोगकर्ता अलग-अलग होने की स्थिति में मुकदमा दर्ज कराते समय इस बात का उल्लेख किया जाए कि कनेक्शन किसके नाम से स्वीकृत है तथा इस कनेक्शन का उपभोग किसके द्वारा किया जा रहा है, जिससे मृत व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज होने की सम्भावना न रहे।

5. वितरण निगमों द्वारा सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से आदेशित कर दिया जाय कि उनके नियन्त्रणाधीन कार्यरत कार्मिकों को विद्युत चोरी के मुकदमों के सम्बन्ध में यदि मा0 न्यायालयो द्वारा सम्मन प्राप्त कराया गया है तो उन कार्मिकों द्वारा मा0 न्यायालय में नियत तिथि को उपस्थित हो कर अनिवार्य रूप से विभागीय पक्ष/साक्ष्य प्रस्तुत किया जाय।

विभागीय कार्मिकों द्वारा मा0 न्यायालय में उपस्थित न होने की वजह से मुकदमों का निस्तारण विलम्बित होने एवं विभागीय पक्ष पर किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

6. वितरण निगमों द्वारा विद्युत चोरी के विरूद्ध दर्ज मुकदमों हेतु मा0 न्यायालयों में विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं द्वारा मा0 न्यायालयों में विभाग की ओर से की जाने वाली पैरवी की गुणवत्ता का आकलन सुनिश्चित किया जाय एवं इस सम्बन्ध में अधिवक्ताओं द्वारा मा0 न्यायालयों में दर्ज मुकदमों के निस्तारण एवं मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में विभाग को हुए लाभ अथवा क्षति का आकलन भी वितरण निगम द्वारा सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में वितरण निगम मुख्यालय पर तैनात विधि अधिकारी/सहायक विधि अधिकारी द्वारा विद्युत चोरी के विरूद्ध मा0 न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के निस्तारण का नियमित रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उपर्युक्तानुसार वितरण निगम के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से आदेशित करते हुए आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें एवं साथ ही कारपोरेशन मुख्यालय को भी तत्सम्बन्ध में सूचित करने का कष्ट करें।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

पत्रांक: /मु0अभि0 (वाणिज्य-II)/तददिनांक: 03.12.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा एवं अति ऊर्जा), बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता),उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. निदेशक (वाणिज्य)/निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (वाणिज्य)/निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा, केस्को, कानपुर।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
''वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा''
चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक संख्या :783 मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/रेड इकाई/डिस्काम, दिनांक :08/08/2019

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।

विषयः– क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विद्युत चोरी के विरूद्ध रेड्स की कार्यवाही के उपरान्त निर्धारित समयानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा रेड्स की कार्यवाही के उपरान्त विद्युत चोरी के प्रकरणों में प्रक्रिया सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही करने में विद्युत अधिनियम–2003 के संगत प्राविधानों एवं उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता–2005 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित सामयिक मानकों (Time bound standards) के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु पुनः संदर्भित किया जाता है:–

1. रेड टीमों द्वारा विद्युत चोरी के प्रकरणों में उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता–2005 के खण्ड 8.1 (a) (xi) में दिये गये प्राविधानानुसार रेड डाले जाने एवं ऐसे अवैध विद्युत संयोजन को विच्छेदित किये जाने के **24 घण्टे** के अन्दर सम्बन्धित पुलिस थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाये।

2. विद्युत चोरी के प्रकरणों में एफ0आई0आर0 समय से दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करना रेड टीम के प्रभारी आधिकारिक का दायित्व होगा।

3. यदि सम्बन्धित पुलिस थाने द्वारा विद्युत चोरी के सम्बन्ध में रेड टीम द्वारा प्रस्तुत तहरीर पर अधिकतम **3 दिन** के अन्दर एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की जाती है, तो उस स्थिति में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (वितरण खण्ड) द्वारा उस क्षेत्र के सर्किल ऑफीसर (पुलिस)/पुलिस अधीक्षक को लिखित रूप से सूचित किया जाये एवं अधीक्षण अभियन्ता (वितरण मण्डल) द्वारा इसका समुचित संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन से समयबद्ध कार्यवाही हेतु आवश्यक सम्पर्क किया जाए एवं पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया जाय, जिसकी प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0पा0का0लि0 को भी प्रेषित कर सूचित किया जाए।

4. रेड टीम प्रभारी द्वारा रेड्स से सम्बन्धित चेकिंग रिपोर्ट यथासम्भव रेड्स डाले जाने वाले दिन अथवा अधिकतम **24 घण्टे** के अन्दर सम्बन्धित वितरण खण्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

5. वितरण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि रेड टीम की चेकिंग रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके आधार पर अधिकतम **तीन (3) कार्य दिवसों** के अन्दर विद्युत चोरी हेतु दोषी व्यक्ति को प्रोविजनल राजस्व निर्धारण बिल निर्गत/प्रेषित किया जाए।

क्रमशः–2

6. अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपर्युक्त निर्गत/प्रेषित प्रोविजनल राजस्व निर्धारण बिल में सम्बन्धित व्यक्ति को **15 कार्य दिवसों** का समय देते हुए (निर्धारित तिथि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए) उस बिल पर, प्रतिवेदन आमंत्रित किया जाएगा।

7. (a) अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रोविजनल राजस्व निर्धारण बिल पर सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में, पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार उस पर सुनवाई करते हुए, उसके **सात (7) कार्य दिवसों** के अन्दर ऐसे व्यक्ति को, अन्तिम राजस्व निर्धारण बिल निर्गत/प्रेषित किया जाएगा।

(b) यदि वितरण खण्ड द्वारा निर्गत प्रोविजिनल राजस्व निर्धारण बिल पर सम्बन्धित व्यक्ति से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो प्रतिवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि के **तीन (3) कार्य दिवसों** के अन्दर उसे अन्तिम राजस्व निर्धारण बिल जारी/प्रेषित कर दिया जाएगा।

8. उपर्युक्तानुसार सम्बन्धित व्यक्ति अथवा उपभोक्ता को अन्तिम राजस्व निर्धारण बिल निर्गत किये जाने के उपरान्त भुगतान हेतु निर्धारित तिथि तक उसके द्वारा भुगतान न किये जाने की स्थिति में उसके सात (7) कार्यदिवसों के उपरान्त उसे **धारा–3** के अन्तर्गत नोटिस जारी/प्रेषित किया जाएगा एवं बिल जमा करने हेतु अन्तिम रूप से **30 कार्य दिवसों** (निर्धारित तिथि का उल्लेख करते हुए) का समय दिया जाएगा।

9. सम्बन्धित व्यक्ति/उपभोक्ता द्वारा निर्धारित तिथि (जैसा कि उपर्युक्त बिन्दु संख्या (8) में उल्लिखित है) तक धारा–3 के अन्तर्गत राजस्व निर्धारण बिल जमा न किये जाने की स्थिति में, भुगतान हेतु निर्धारित तिथि के **सात (7) कार्य दिवसों** के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता, वितरण खण्ड द्वारा **धारा–5** के अन्तर्गत रिकवरी हेतु जिला प्रशासन के माध्यम से, ऐसे व्यक्ति/उपभोक्ता को नोटिस निर्गत/प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

10. उपर्युक्त बिन्दु संख्या **(06)** से बिन्दु संख्या **(09)** में किये उल्लेखानुसार विद्युत चोरी हेतु दोषी व्यक्तियों/उपभोक्ताओं को निर्गत/प्रेषित किये जाने वाले बिल/नोटिस को रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्रेषित किया जाये। यदि उपभोक्ता को प्रेषित बिल/नोटिस (लिफाफा) अनडिलीवर्ड होकर खण्डीय कार्यालय में वापस आता है तो उसे खोला न जाए एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा उस बन्द लिफाफे को पत्रावली के साथ सुरक्षित रखा जाये ताकि आवश्यकतानुसार मा0 न्यायालय में उस अनडिलीवर्ड लिफाफे को इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जा सके, कि विभाग द्वारा नोटिस का प्रेषण निर्धारित तरीके से ही किया गया है।

कृपया उपर्युक्तानुसार समयबद्ध मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने वितरण निगम के सभी सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने स्तर से आदेशित करने का कष्ट करें।

Aparna U

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमशः–3

पत्रांकः 783/मु0अभि0(वाणिज्य–II)/तद्दिनांकः 08/08/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वाणिज्य), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–II),उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/ आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।

Aparna U

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।

सं0– 369 /पीएससीएच/पा0कालि0/18 *दिनॉक– 06.10.2018*

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पश्चिमॉचल–मेरठ/केस्को–कानपुर/मध्यॉचल–लखनऊ/
पूर्वांचल–वाराणसी/दक्षिणॉचल–आगरा।

महोदय,

इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कतिपय स्थानों पर विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए की जा रही चेकिंग अभियान में पारदर्शिता की कमी रही है। उक्त के दृष्टिगत, इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु चेकिंग के दौरान की गयी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

2– 'रेड' पोर्टल में विद्युत चोरी की चेकिंग में अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर पोर्टल पर भरी जाने वाली अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त चेकिंग के दौरान की गयी वीडियोग्राफी को भी अपलोड करने की व्यवस्था है, जिसके लिए 10 एम0वी0 का स्थान है और जिसमें तीन–साढ़े तीन मिनट की आठ–दस वीडियो लो क्वालिटी में एवं चालीस–पचास सेकेण्डस की आठ–दस वीडियो हाई क्वालिटी में अपलोड की जा सकती है। किन्तु देखा यह गया है कि विद्युत/प्रवर्तन दलों द्वारा चेकिंग की वीडियोग्राफी सम्बन्धित कॉलम में अपलोड नहीं की जाती है। अधिकांशतः चेकिंग के दौरान हाई–डेफिनेशन में लम्बी–लम्बी वीडियो क्लिप बनाई जा रही है जो पोर्टल में अपलोड नहीं हो सकती है।

3– अतएव, तद्नुसार आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित निर्देश निर्गत कर पोर्टल पर भी जाने वाली अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त चेकिंग के दौरान की गयी वीडियोग्राफी, जिसे भी अपलोड करने की व्यवस्था है, का भरपूर उपयोग कर विद्युत चोरी की चेकिंग के दौरान महत्वपूर्ण अंशों की छोटी–छोटी वीडियोग्राफी पोर्टल में उपरोक्तानुसार प्रत्येक दशा में अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करायें।

4– अतः आपसे अपेक्षा है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। यदि उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित चेकिंग टीम के मुखिया का उत्तरदायित्व तय किया जायेगा।

(P)

C.E.(Com-2)

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. *प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।*
2. *अपर पुलिस महानिदेशक, सतर्कता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।*
3. *निदेशक (वा0),उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।*

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा"

चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,

14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक संख्या : 470मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/रेड इकाई/डिस्काम, दिनांक : 16/05/2019

प्रबन्ध निदेशक
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।

विषयः– 5 कि0वा0 एवं उससे अधिक भार वाले अवैधानिक संयोजनों (कटिया) वाले विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण सुनिश्चित कर वसूली हेतु धारा–3 एवं धारा–5 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत कर संबंधित परिसरों की चेकिंग किए जाने के सम्बन्ध में।

5 कि0वा0 एवं उससे अधिक भार वाले विद्युत चोरी के प्रकरणों में शत प्रतिशत राजस्व निर्धारण एवं राजस्व निर्धारण की वसूली (Theft Realisation) सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक है कि अवैधानिक संयोजनों (कटिया) वाले विद्युत चोरी के प्रकरणों में ऐसे संयोजनों वाले व्यक्तियों द्वारा उनके विरुद्ध किये गए राजस्व निर्धारण का भुगतान न किये जाने की स्थिति में उन्हें **उ0प्र0 सार्वजनिक (विद्युत) उपक्रम बकाया वसूली एक्ट की धारा–5** (RC-5) के अन्तर्गत वसूली नोटिस निर्गत की जाए।

उपर्युक्त संबंध में आवश्यक है कि :–**1.** जिन परिसरों में कटिया संयोजन पाये जाते हैं उन्हें तुरंत विच्छेदित कर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध विद्युत अधिनियम–2003 की **धारा–135** के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज कराया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

2. कटिया संयोजन (Non-Consumers)वाले जिन व्यक्तियों द्वारा शमन शुल्क जमा किए जाने के साथ उनके विरूद्ध किये गए राजस्व निर्धारण की धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम की **धारा–135** के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने के उपरांत उन्हें धारा–5 के अन्तर्गत राजस्व निर्धारण की वसूली हेतु नोटिस निर्गत करना सुनिश्चित किया जाए।

ऐसे कटिया संयोजन (Non-Consumers) वाले परिसरों की क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से चेकिंग की जाए एवं ऐसे अवैध संयोजन कर्ता द्वारा बिना बकाया धनराशि जमा किये एवं नियमानुसार संयोजन प्राप्त किए बिना विद्युत उपभोग करने की स्थिति में, उनके विरूद्ध पुनः एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाए एवं एफ0आई0आर0 में ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध पूर्व में धारा–135 के अन्तर्गत दर्ज करायी गयी एफ0आई0आर0 का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

3. कटिया संयोजन धारक व्यक्तियों के विरूद्ध निर्गत की गयी धारा–5 की नोटिस पर जिला प्रशासन स्तर से त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु वितरण निगम के **निदेशक (वाणिज्य)** द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए एवं आवश्यक होने पर संबंधित वितरण क्षेत्र के **मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता** द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु जिला प्रशासन से भी संपर्क किया जाए।

क्रमशः–2

4. विद्युत चोरी के प्रकरणों में एवं राजस्व निर्धारण का भुगतान किए बिना, कटिया संयोजन धारकों द्वारा पुनः अवैध संयोजन कर लिए जाने की स्थिति में विभागीय कार्मिकों की शिथिलता/संलिप्तता हेतु उनका उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(ए0के0 श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्रांकः 470 /मु0अभि0(वाणिज्य–II)/तद्दिनांकः 16 /05/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. निदेशक (वाणिज्य), पूर्वांन्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–II), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र), पूर्वांन्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/ आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।

(ए0के0 श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा"
चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक संख्या : 471 मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/रेड इकाई/डिस्काम, दिनांक : 16/05/2019

प्रबन्ध निदेशक
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।

विषय :– विभिन्न औद्योगिक एवं बड़े प्रतिष्ठानों द्वारा विद्युत चोरी अथवा किसी प्रकार की अनियमितता की चेकिंग/रेड की योजनाबद्ध कार्यवाही सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में।

आप अवगत हैं कि प्रदेश में ग्रीष्म काल की बढ़ती हुई विद्युत की खपत के दृष्टिगत अधिक विद्युत खपत वाले बड़े प्रतिष्ठानों (यथा; Rolling Mill, Induction Furnace, Arc Furnace, Cold Storage, Ice Factory, Flour Mill, Dal/Rice Mill, Hotels, Malls, Cinema Halls, Ice cream Manufacturing, Ice cream Parlour, Mineral Water/Beverage industry) में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है जिससे ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत प्रणाली को अतिभारित किये जाने की प्रवृत्ति पर लगाम लगायी जा सके।

उपर्युक्त हेतु अधिक विद्युत खपत वाले बड़े प्रतिष्ठानों के परिसरों की विद्युत खपत का विश्लेषण कर सघन जांच एवं किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर उसके सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं उच्च स्तर पर उसके अनुश्रवण किये जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में कारपोरेशन के पत्र संख्याः-37 ,मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/रेड इकाई दिनांकः–11.01.2019 द्वारा पूर्व में प्रेषित Raid Programme Calender पुनः प्रेषित **(संलग्न)** किया जा रहा है।

कृपया विभिन्न औद्योगिक एवं बड़े प्रतिष्ठानों की स्थानीय एवं ग्रीष्म कालीन विद्युत उपभोग की आवश्यकता के आधार पर उनकी मासिक विद्युत खपत का विश्लेषण कर सतर्कता/विभागीय रेड टीमों द्वारा प्रत्येक वितरण खण्डवार रेड कैलेण्डर तैयार करने हेतु वितरण निगम के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित करने कष्ट करें, जिसका वितरण निगम के **निदेशक (वाणिज्य)** द्वारा मुख्यालय स्तर पर नियमित रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नकः–यथोपरि।

(ए0के0 श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्रांकः 471 /मु0अभि0(वाणिज्य–II)/तद्दिनांकः 16/05/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

4. निदेशक (वाणिज्य), पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–II), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र), पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ एवं केस्को–कानपुर।

(ए0के0 श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

RAID Calendar

Month	Process
January	Crusher (Kolhoo), Rice Mill, Furnace & rolling Mill, Cement Plant, Gas Plants, Plastic Industry, Stone Crusher, Leather Industry/Tannery, Flour Mill,
February	Crusher (Kolhoo), Furnace & rolling Mill, Cement Plant, Gas Plants, Plastic Industry, Stone Crusher, Leather Industry/Tannery, Flour Mill,
March	Crusher (Kolhoo), Cold Storage & Ice Factory, Furnace & rolling Mill, Cement Plant, Gas Plants, Plastic Industry, Stone Crusher, Leather Industry/Tannery, Flour Mill,

Month	Process
April	Oil Mill, Dal Mill, Crusher (Kolhoo), Cold Storage & Ice Fac Furnace & rolling Mill, Cement Plant, Gas Plants, Gym cen Hotel & Restaurant, Shopping Mall/Showroom, Hospita Diagnostic Centre, Private Professional Colleges, IT industry & Centre, Plastic Industry, Stone Crusher, Leather Industry/Tann Flour Mill,
May	Oil Mill, Dal Mill, Cold Storage & Ice Factory, Furnace & rolling Cement Plant, Gas Plants, Gym centres, Hotel & Restau Shopping Mall/Showroom, Hospital & Diagnostic Centre, Pr Professional Colleges, IT industry & Call Centre, Plastic Indu Stone Crusher, Flour Mill,
June	Oil Mill, Dal Mill, Cold Storage & Ice Factory, Furnace & rolling Cement Plant, Gas Plants, Gym centres, Hotel & Restau Shopping Mall/Showroom, Hospital & Diagnostic Centre, Pr Professional Colleges, IT industry & Call Centre, Plastic Indu Stone Crusher, Leather Industry/Tannery, Flour Mill,

Month	Process
July	Oil Mill, Dal Mill, Cold Storage & Ice Factory, Gas Plants, Gym centres, Hotel & Restaurant, Shopping Mall/Showroom, Hospital & Diagnostic Centre, Private Professional Colleges, IT industry & Call Centre, Plastic Industry, Stone Crusher, Leather Industry/Tannery
August	Oil Mill, Dal Mill, Cold Storage & Ice Factory, Gas Plants, Gym centres, Hotel & Restaurant, Shopping Mall/Showroom, Hospital & Diagnostic Centre, Private Professional Colleges, IT industry & Call Centre, Plastic Industry, Stone Crusher, Leather Industry/Tannery
Sept.	Oil Mill, Dal Mill, Cold Storage & Ice Factory, Gas Plants, Gym centres, Hotel & Restaurant, Shopping Mall/Showroom, Hospital & Diagnostic Centre, Private Professional Colleges, IT industry & Call Centre, Plastic Industry, Stone Crusher, Leather Industry/Tannery

Month	Process
Oct.	Crusher (Kolhoo), Cold Storage & Ice Factory, Rice Mill, Plants, Plastic Industry, Stone Crusher, Leather Industry/Tann
Nov.	Crusher (Kolhoo), Rice Mill, Gas Plants, Plastic Industry, Crusher, Leather Industry/Tannery
Dec.	Crusher (Kolhoo), Rice Mill, Gas Plants, Flour Mill, Plastic Ind Stone Crusher, Leather Industry/Tannery

अपर्णा यू0
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड

शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –226001
ई–मेल : mduppcl12@gmail.com
दूरभाष – (0522) 2288377(O)
फैक्स – (0522) 2288410
CIN : 32201UP1999SGC024928

पत्र संख्या : 566 मु0अभि0 (वाणिज्य–2) / रेड इकाई,

दिनांक : 22/06/2019

अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

विषयः– प्रीपेड मीटर्स से निर्गत किये गये विद्युत संयोजनों द्वारा रिचार्ज न कराये जाने पर उनके द्वारा चोरी से विद्युत उपभोग किये जाने की चेकिंग किये जाने के सम्बन्ध में।

आप अवगत हैं कि प्रदेश के कई जनपदों में प्रीपेड मीटर्स के माध्यम से विद्युत संयोजन निर्गत किये गये है। M.B.C. सेल द्वारा Billing Logic Audit के माध्यम से अवगत कराया गया है अद्यतन ऐसे **707 उपभोक्ताओं** द्वारा विगत **एक वर्ष** से मीटर रिचार्ज नहीं कराया गया है तथा **2959 अन्य उपभोक्ताओं** द्वारा भी अभी तक मीटर रिचार्ज नहीं कराया गया है। मीटर रिचार्ज न कराये जाने की स्थिति में उपभोक्ताओं द्वारा सीधे विद्युत चोरी किये जाने की सम्भावना बनी रहती है।

उपर्युक्त सम्बन्ध में **M.B.C. सेल** द्वारा उपलब्ध कराई गई **707 उपभोक्ताओं** जिनके द्वारा विगत एक वर्ष से कोई रिचार्ज नहीं कराया गया है एवं **अन्य 2959 उपभोक्ताओं** की वितरण निगम / वितरण क्षेत्रवार सूची **ई–मेल** के माध्यम से इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि ऐसे उपभोक्ताओं के परिसरों की सतर्कता स्कन्ध के प्रवर्तन दलों के माध्यम से चेकिंग कराकर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु आदेशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक सूचीः ई–मेल।

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 566 / मु0अ0(वा0–2) / रेड इकाई / तददिनांक : 22/06/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. श्री आर0 के0 जैन, इन्चार्ज M.B.C. सेल, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

Read file.

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

4. निदेशक (वाणिज्य), पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–II), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र), पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ एवं केस्को–कानपुर।

(ए0के0 श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

RAID Calendar

Month	Process
January	Crusher (Kolhoo), Rice Mill, Furnace & rolling Mill, Cement Plant, Gas Plants, Plastic Industry, Stone Crusher, Leather Industry/Tannery, Flour Mill,
February	Crusher (Kolhoo), Furnace & rolling Mill, Cement Plant, Gas Plants, Plastic Industry, Stone Crusher, Leather Industry/Tannery, Flour Mill,
March	Crusher (Kolhoo), Cold Storage & Ice Factory, Furnace & rolling Mill, Cement Plant, Gas Plants, Plastic Industry, Stone Crusher, Leather Industry/Tannery, Flour Mill,

Month	Process
April	Oil Mill, Dal Mill, Crusher (Kolhoo), Cold Storage & Ice Factory, Furnace & rolling Mill, Cement Plant, Gas Plants, Gym centres, Hotel & Restaurant, Shopping Mall/Showroom, Hospital & Diagnostic Centre, Private Professional Colleges, IT industry & Call Centre, Plastic Industry, Stone Crusher, Leather Industry/Tannery, Flour Mill,
May	Oil Mill, Dal Mill, Cold Storage & Ice Factory, Furnace & rolling Mill, Cement Plant, Gas Plants, Gym centres, Hotel & Restaurant, Shopping Mall/Showroom, Hospital & Diagnostic Centre, Private Professional Colleges, IT industry & Call Centre, Plastic Industry, Stone Crusher, Flour Mill,
June	Oil Mill, Dal Mill, Cold Storage & Ice Factory, Furnace & rolling Mill, Cement Plant, Gas Plants, Gym centres, Hotel & Restaurant, Shopping Mall/Showroom, Hospital & Diagnostic Centre, Private Professional Colleges, IT industry & Call Centre, Plastic Industry, Stone Crusher, Leather Industry/Tannery, Flour Mill,

Month	Process
July	Oil Mill, Dal Mill, Cold Storage & Ice Factory, Gas Plants, Gym centres, Hotel & Restaurant, Shopping Mall/Showroom, Hospital & Diagnostic Centre, Private Professional Colleges, IT industry & Call Centre, Plastic Industry, Stone Crusher, Leather Industry/Tannery
August	Oil Mill, Dal Mill, Cold Storage & Ice Factory, Gas Plants, Gym centres, Hotel & Restaurant, Shopping Mall/Showroom, Hospital & Diagnostic Centre, Private Professional Colleges, IT industry & Call Centre, Plastic Industry, Stone Crusher, Leather Industry/Tannery
Sept.	Oil Mill, Dal Mill, Cold Storage & Ice Factory, Gas Plants, Gym centres, Hotel & Restaurant, Shopping Mall/Showroom, Hospital & Diagnostic Centre, Private Professional Colleges, IT industry & Call Centre, Plastic Industry, Stone Crusher, Leather Industry/Tannery

Month	Process
Oct.	Crusher (Kolhoo), Cold Storage & Ice Factory, Rice Mill, Gas Plants, Plastic Industry, Stone Crusher, Leather Industry/Tannery
Nov.	Crusher (Kolhoo), Rice Mill, Gas Plants, Plastic Industry, Stone Crusher, Leather Industry/Tannery
Dec.	Crusher (Kolhoo), Rice Mill, Gas Plants, Flour Mill, Plastic Industry, Stone Crusher, Leather Industry/Tannery

अपर्णा यू0
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –226001
ई–मेल : mduppcl12@gmail.com
दूरभाष – (0522) 2288377(O)
फैक्स – (0522) 2288410
CIN : 32201UP1999SGC024928

पत्र संख्या : 568 मु0अभि0 (वाणिज्य–2)/रेड इकाई, दिनांक : 22/06/2019

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को,
कानपुर।

विषय :– अवैध रूप से चल रहे विद्युत संयोजनों के नियमितीकरण हेतु 'कटिया हटाओ संयोजन पाओ' योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रदेश में सभी वितरण निगमों के अन्तर्गत नागरिकों को नियमित विद्युत संयोजन निर्गत कर विद्युत प्रणाली से जोड़े जाने एवं सकल वाणिज्यिक एवं तकनीकी हानियों को कम किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 01.07.2019 से 30.09.2019 तक नागरिकों द्वारा स्वघोषणा किये जाने पर **"कटिया हटाओं संयोजन पाओ"** योजना निम्नलिखित प्राविधानों के अनुसार सभी विद्युत वितरण निगम द्वारा लागू करने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

1. प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत यह सुविधा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में घरेलू संयोजनों हेतु केवल 01 कि0वा0 भार तक ही अनुमन्य होगी।
2. संयोजन परिसर समीपवर्ती एल0टी0 लाइन से 40 मीटर की दूरी से अधिक न हो।
3. शहरी क्षेत्रों में संयोजन देने हेतु वर्तमान में प्रचलित स्वीकार्य पहचान पत्र एवं भूस्वामित्व/किरायेदार एवं आवासीय पता का विवरण/अभिलेख आवश्यक होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में संयोजन देने का आधार पूर्व में प्रचलित सौभाग्य योजना के अनुरूप होगा।
4. झुग्गी झोपड़ियों में कनेक्शन केवल प्री–पेड मीटर लगाकर नियमानुसार निर्गत किये जायेंगे।
5. संयोजन परिसर में पूर्व में रहे किसी संयोजन से सम्बन्धी कोई बकाया शेष न हो।
6. स्व–घोषित अनधिकृत विद्युत उपभोग पर नियमित संयोजन निर्गमन की प्रकिया इस शर्त पर की जायेगी कि आवेदक द्वारा नियमित संयोजन प्राप्त करने हेतु नये संयोजन का निर्धारित शुल्क योजना अवधि की समाप्ति से पूर्व जमा कर दिया गया हो, अन्यथा योजना समाप्ति तक संयोजन शुल्क न प्राप्त होने की स्थिति में योजना अवधि के पश्चात आवेदक के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
7. आवेदन के साथ नये संयोजन हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराकर संयोजन निर्गत कर दिया जाय।
8. उपभोक्ता सेवा केन्द्र (1912) पर प्राप्त हुए आवेदन भी इस योजना के अन्तर्गत स्वीकार्य होंगे।
9. ऐसे परिसर जिनसे सम्बन्धित कोई न्यायालय वाद लम्बित हो, उक्त योजना के आच्छादित नहीं होंगे।

Seen

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 568 / मु0अ0(वा0–2) / रेड इकाई / तददिनांक : 22/06/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य), पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–II), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (आर0ए0यू0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ एवं केस्को–कानपुर।

Aparna U.

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

शक्ति भवन,

14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या : 900 मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/रेड इकाई, दिनांक : 24/08/2019

कार्यालय–ज्ञाप

विद्युत चोरी के प्रकरणों में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा **मा0 विशेष न्यायालयों (ई.सी. एक्ट)** में लम्बे समय तक विचाराधीन मामलों में प्रभावी रूप से विभागीय पक्ष प्रस्तुत न किये जाने, विद्युत चोरी हेतु दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत चार्ज शीट के साथ दाखिल एसेसमेन्ट रिपोर्ट को मा0 न्यायालयों में विधिक रूप से साबित न किये जाने, सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों अथवा पैनल अधिवक्ताओं द्वारा योजित मुकदमों के सम्बन्ध में अपर जनपदीय शासकीय अधिवक्ताओं को विद्युत अधिनियम–2003 के संगत प्राविधानों के बारे में पूर्ण जानकारी न दिये जाने आदि के कारण मा0 विशेष न्यायालयों में या तो लम्बे समय तक विद्युत चोरी से सम्बन्धित प्रकरण निर्णय हेतु लम्बित रहते हैं अथवा विभागीय पक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत न किये जाने के कारण विभाग के पक्ष में निर्णय नहीं हो पाते हैं।

उपर्युक्त के दृष्टिगत विद्युत अधिनियम–2003 के विभिन्न संगत प्राविधानों ; जिनके अनुपालन हेतु उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता–2005 के अध्याय **(8)** एवं संलग्नक **6.3** एवं संलग्नक **6.4** में विस्तृत विवरण दिया गया है एवं समय– समय पर पावर कारपोरेशन द्वारा तद्सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये हैं; के अनुक्रम में एतद्द्वारा वितरण निगमों के नियन्त्रणाधीन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अनुपालन हेतु निम्नलिखित आदेश निर्गत किये जाते हैं:–

1. वितरण निगमों के सभी सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विद्युत चोरी के प्रकरणों में एफ0आई0आर0 दर्ज कराते समय कारपोरेशन के पत्र संख्या:–806–मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/रेड इकाई, दिनांक 03.12.2018 **(संलग्नक: 1)** द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2. मा0 विशेष न्यायालयों में सुनवाई हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि विवेचना अधिकारी (Investigating Officer) द्वारा आरोप पत्र के साथ राजस्व निर्धारण रिपोर्ट (Assessment Report) भी अनिवार्यतः प्रस्तुत की जाये। विवेचक अधिकारी द्वारा भी यह सुनिश्चित किया जाये कि मा0 विशेष न्यायालय में प्रस्तुत (दाखिल) किये जाने वाले आरोप पत्र के साथ विद्युत अधिनियम–2003 की **धारा–154(5)** में दिये गये प्राविधानानुसार मा0 न्यायालय द्वारा तय की जाने वाली सिविल लाइबिलिटी हेतु उपभोक्ता के विरूद्ध राजस्व निर्धारण रिपोर्ट, जैसा कि उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता–2005 के खण्ड **8.1 b (iv)** में प्राविधानित है, भी प्रस्तुत की गयी है।

उपर्युक्त राजस्व निर्धारण रिपोर्ट में विद्युत अधिनियम–2003 की **धारा–135** के प्राविधानों के अनुसार–उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता–2005 के खण्ड **8.1 b (iv)** में प्राविधानित संलग्नक 6.3 में दिये गये प्राविधानानुसार राजस्व निर्धारण आगणित किये जाने का उल्लेख भी स्पष्टतः किया जाये, जो कि विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के खण्ड **8.1 (a) (v)** में प्राविधानित **संलग्नक 6.4** के प्रारूप के अनुसार तैयार इन्सपेक्शन रिपोर्ट पर आधारित होगी।

3. (a) क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विद्युत चोरी से सम्बन्धित मा0 न्यायालयों में योजित मुकदमों में विद्युत अधिनियम –2003 की धारा–**135 e(i)** व **e(ii)** के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक दण्ड से सम्बन्धित **निम्नलिखित प्राविधानों** का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:–

धारा–135 :–

"...Provided that in a case where the load abstracted, consumed, or used or attempted abstraction or attempted consumption or attempted use-

e(i) does not exceed 10 kilowatt, the fine imposed on first conviction shall not be less than three times the financial gain on account of such theft of electricity and in the event of second or subsequent conviction the fine imposed shall not be less than six times the financial gain on account of such theft of electricity.

e(ii) exceeds 10 kilowatt, the fine imposed on first conviction shall not be less than three times the financial gain on account of such theft of electricity and in the event of second or subsequent conviction, the sentence shall be imprisonment for a term not less than six months, but which may extend to five years and with fine not less than six times the financial gain on account of such theft of electricity..."

3. (b) क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त **धारा–135** में उल्लिखित विद्युत चोरी के मुकदमों में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक दण्ड के प्राविधानों के साथ ही अधिनियम–2003 की **धारा–154 (5)** के **निम्नलिखित प्राविधानों** का संज्ञान लेते हुए मा0 न्यायालयों में योजित मुकदमों में, उपर्युक्त बिन्दु संख्या–(2) में उल्लिखित राजस्व निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर, सिविल लाइबिलिटी भी तय कराया जाना अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए।

धारा–154 (5) :–

"The [Special Court shall] determine the civil liability against a consumer or a person in terms of money for theft of energy which shall not be less than an amount equivalent to two times of the tariff rate applicable for a period of twelve months preceding the date of detection of theft of energy or the exact period of theft if determined whichever is less and the amount of civil liability so determined shall be recovered as if it were a decree of Civil Court."

4. क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा मा0 विशेष न्यायालयों में विद्युत चोरी के प्रकरणों में मा0 विशेष न्यायालयों में योजित मुकदमों में उपर्युक्त बिन्दु संख्या–(3) के अनुसार पैनल अधिवक्ताओं एवं अपर जनपदीय शासकीय अधिवक्ताओं **(A.D.G.Cs.)** के माध्यम से विद्युत अधिनियम–2003 की **धारा–135** के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक दण्ड के साथ ही **धारा–154 (5)** के अन्तर्गत सिविल लाइबिलिटी/राजस्व निर्धारण भी तय कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

5. वितरण निगमों द्वारा विद्युत चोरी के विरूद्ध दर्ज मुकदमों हेतु मा0 न्यायालयों में विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं द्वारा मा0 न्यायालयों में विभाग की ओर से की जाने वाली पैरवी की गुणवत्ता का आकलन सुनिश्चित किया जाए एवं इस सम्बन्ध में अधिवक्ताओं द्वारा मा0 न्यायालयों में दर्ज मुकदमों के निस्तारण एवं मा0 न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में, जैसा कि उपर्युक्त बिन्दु सं0 **3 (a)** एवं **(b)** में विद्युत चोरी हेतु दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध मा0 विशेष न्यायालयों में योजित मुकदमों मे विद्युत अधिनियम–2003 की **धारा–135** के प्राविधानों के अन्तर्गत आपराधिक दण्ड के साथ ही **धारा–154 (5)** के प्राविधानों के अन्तर्गत सिविल लाइबिलिटी तय कराये जाने का उल्लेख किया गया है, विभाग को हुए लाभ अथवा क्षति का आकलन भी वितरण निगम द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

इस सम्बन्ध में **वितरण निगम मुख्यालय स्तर** पर **निदेशक (वाणिज्य)/मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)** द्वारा **उपविधि अधिकारी/सहायक विधि अधिकारी** के साथ विद्युत चोरी के विरूद्ध मा0 न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के निस्तारण का नियमित रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।

वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेशकगणों द्वारा उपर्युक्त आदेशों का सभी क्षेत्रीय अधिकारियों के स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक आदेश एवं दिशानिर्देश निर्गत किये जाएं एवं उसका नियमित अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक यथोपरि।

अध्यक्ष
उ0प्र0पा0का0लि0

संख्याः ९०० /मु0अभि0(वाणिज्य–II)/रेड इकाई/दिनांकः २५/08/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
6. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन)/निदेशक (वाणिज्य), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
7. विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–II), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।

(अश्वनी कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य–II)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन,
14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक संख्या : 940 मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/रेड इकाई/डिस्काम, दिनांक : 03/09/2019

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।

अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

विषयः–एन्टी पावर थेफ्ट थानों को क्रियाशील करने हेतु आवश्यक वाहन, सहवर्ती उपकरण, फर्नीचर एवं हिन्दी टाइपिंग हेतु टाइपिस्ट आदि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक प्रत्येक जनपद में विद्युत चोरी निरोधक थानों को क्रियाशील किये जाने हेतु विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु पूर्व में कारपोरेशन से तद्‌विषयक निर्गत आदेशों के क्रम में पुनः निम्नलिखित दिशा–निर्देश दिये जाते हैं:–

1. प्रत्येक जनपद के पुलिस थानों हेतु सतर्कता स्कन्ध की आवश्यकतानुसार उनकी मांग पर फर्नीचर कुर्सी, मेज आदि की व्यवस्था वितरण निगमों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
2. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सतर्कता स्कन्ध को विद्युत चोरी निरोधक थानों को कियाशील किये जाने हेतु स्टेशनरी एवं कार्यालय सम्बन्धी अन्य उपयोग की जाने वाली सामग्री इत्यादि पर होने वाले व्यय के लिये प्रत्येक थाने हेतु प्रथम दो माह रू0 पच्चीस हजार (रू0 25000.00) की धनराशि प्रतिमाह निर्गत करायी जायेगी। उसके उपरान्त सतर्कता स्कन्ध द्वारा प्रतिमाह होने वाले वास्तविक व्यय की मांग पर उन्हें निदेशक (वित्त) द्वारा आवश्यक धनराशि निर्गत कराई जायेगी।
3. सतर्कता स्कन्ध द्वारा थानों एवं प्रवर्तन दलों की आवश्यकतानुसार, वाहनों की उपलब्धता अपने स्तर पर कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, एवं इस सम्बन्ध में निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा, सतर्कता स्कन्ध की मांग पर आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. सतर्कता स्कन्ध की आवश्यकतानुसार, प्रत्येक जनपद के विद्युत चोरी निरोधक थानों में टाइपिंग कार्य हेतु कर्मी की उपलब्धता, सम्बन्धित वितरण निगमों द्वारा संविदा कर्मी के रूप में की जायेगी, जो उनके द्वारा कार्यालय सम्बन्धी समान टाइपिंग कार्य हेतु प्रचलित वर्तमान दरों पर लिये जाने वाले संविदा कर्मी के रूप में करायी जायेगी।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

पत्रांकः 940/मु0अभि0(वाणिज्य–II)/तद्‌दिनांकः 03/09/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–II),उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (~~जनपद पूर्वांचल~~–द्वितीय), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।